न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 ,(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मेरठ।

पीठासीन अधिकारी:–आलोक द्विवेदी (H.J.S)

CNR NO-UPME010089772026

फौजदारी विविध वाद संख्या– 704/2026
मु०अ०स०– 761/2025
धारा–109(1),3(5) BNS &
3/4/25/27 आयुद्ध अधि०
थाना –लिसाड़ी गेट, जिला – मेरठ।

नफीस उर्फ सोनू पुत्र तौसीफ नि० मजीद नगर ,गली न०–2 थाना–लिसाड़ी गेट,जिला मेरठ। –––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार ––––––अभियोजक

दिनांक–22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त दिनांक– 30.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट स०–2 मेरठ द्वारा दिनांक–18.11.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत 1,00,000/– रूपये के दो जमानती दाखिल करने पर प्रदान की गयी थी। अभियुक्त का कोई पैरोकार नहीं है। जिस कारण से जमानत स्वीकार होने के 7 महीने पश्चात भी अभियुक्त बेल बांड दाखिल नहीं कर सका। अतः उक्त के आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत की धनराशि कम करके 30,000/– रूपये का एक जमानती दाखिल किये जाने की याचना की गयी है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त नफीस उर्फ सोनू व शहजाद की जमानत दिनांक 18.11.2025 को स्वीकार हुई है। नफीस उर्फ सोनू जिला कारागार में निरुद्ध है। जमानत की व्यवस्था न होने के कारण वह रिहा नहीं हो सका। इस संबंध में अभियुक्त की आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति की आख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था SMWP No 4/2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप अभियुक्त के पैतृक निवास उपरोक्त से आख्या आहूत की गयी है। मामले के तथ्यों,परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त नफीस उर्फ सोनू की जमानत धनराशि को शिथिल करके अंकन 1,00,000/– रूपये के स्थान पर 30,000/– रूपये तथा 02 प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाता हूं।

आदेश

जमानत दिनाँक 18.11.2025 में अभियुक्त नफीस उर्फ सोनू के बाबत अंकित जमानत धनराशि 1,00,000–रूपये को कम करते हुए मु० 30,000/– रूपये का निजी बंधपत्र, समान धनराशि के 02 प्रतिभू दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। मु०– 30,000/– रूपये के 02 जमानती प्रस्तुत करने पर तथा सत्यापन उपरान्त अभियुक्त नफीस उर्फ सोनू पुत्र तौसीफ को रिहा किया जावे। जमानत की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, तद्नुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक–22.07.2026

(आलोक द्विवेदी)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

विशेष न्यायालय स०– 1(भ्र०नि०अधिनियम),मेरठ।

जे०ओ० कोड–यू०पी० 6247

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by ALOK DWIVEDI
Date: 2026.07.22 15:03:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court